संख्या–363 /XVIII-B-1/20-15(10)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 19 मई, 2020

विषयः– **कोविड–19 की स्थिति में लागू लॉक डाउन में जनपद हरिद्वार में पण्डा समाज एवं नागरिकों को अपने मृतको के संस्कार करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में देश–विदेश के नागरिकों द्वारा अपने मृतकों के अस्थियों का विसर्जन किये जाने की परम्परा है किन्तु वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लागू लॉक डाउन के कारण हरिद्वार के पण्डा समाज एवं नागरिकों को उक्त संस्कार करने में आ रही कठिनाईयों एवं पण्डा समाज व नागरिकों की भावनाओं को दृष्टिगत मृतक के परिजनों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिये जाने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा मृतकों के शोक संतृप्त परिवार के तीन सदस्यों (वाहन चालक सहित) को अपने मृतक की अस्थियों के विसर्जन हेतु अनुमति प्रदान की जाय। इस अनुमति के समय कोविड–19 के भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–1 (1)/XVIII-B-1/20-15(10)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ ऑफिस, मुख्यसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव